

न्यायालय नीलाम पत्र पदाधिकारी -सह- अंचल अधिकारी, कसमार

अनुसूची 14 - फारम सं० 562।

आदेश - पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक / ता०.....सेतक

जिला- बोकारो, वाद सं० 29/2021-22 सन् 20.....

केस का प्रकार नीलाम पत्र वाद (द्वैक गण ठेक)

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
03.09.21	<p>प्रबंधक <u>पु. क. शांति इविद्या, कसमार</u> शाखा, जिला- बोकारो, अपने विद्वान अधिवक्ता के द्वारा देनदार <u>श्रीकांत महतो</u> <u>पिता चना महतो</u> ग्राम नपो- बगदा बाना- कसमार जिला- बोकारो जिला बोकारो के विरुद्ध बकाया राशि <u>114758.00</u> यादवाली स ह्यार सात ह्ये अंकावन रुपये की वसूली हेतु अधियाचना पत्र दाखिल किया गया है। साथ ही "कोट फी" रुपये <u>3592.00</u> तीन हजार पांच ह्ये बाब्द ह्ये कुल <u>48350</u> अंकावन रुपये का वसूली दावा दाखिल किया गया है। अधियाचना पत्र परिपूर्ण है एवं बकाया राशि देनदार से वसूली योग्य है।</p> <p>अतः देनदार के विरुद्ध बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग अधिनियम 4 वर्ष 1914 की धारा 7 के तहत नोटिस निर्गत करें।</p> <p>नोटिस तामिला हेतु अधियाची पदाधिकारी को भेजें।</p> <p>अभिलेख दिनांक..... को उपस्थापित करें।</p>	
	<p><u>10</u> <u>3.9.21</u> नीलाम पत्र पदाधिकारी, -सह- अंचल अधिकारी कसमार।</p>	